

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं० सं०-4 / आ०वि०(संघा०)-01-02 / 2017- 58

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार(भा० प्र० से०),
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (मुख्यालय),
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 12.09.17

विषय : वित्तीय वर्ष-2017-18 में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में वर्ग-6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण हेतु ₹83,400/- (तेरासी हजार चार सौ) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में प्रकाशन एवं मुद्रण मद में आवासीय विद्यालयों में वर्ग-6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण के भुगतान हेतु ₹83,400/- (तेरासी हजार चार सौ) रुपये का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष-2017-18 में आय-व्यय शीर्ष भाग संख्या-44-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0003 आवासीय विद्यालय विषय शीर्ष-16.01-प्रकाशन एवं मुद्रण, विपत्र कोड संख्या-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (मुख्यालय), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे एवं इसके नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-एम०-4 05 / 98-2607 / बि०(2), दिनांक-20.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जाय

5. उक्त आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2249, दिनांक-31.08.2017 द्वारा आवासीय विद्यालयों में वर्ग-6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्र के मुद्रण एवं पैकिंग के लिए किया जाएगा।

6. संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

W

7. आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
8. व्यय के पश्चात राशि के वचत का प्रत्यर्पण समेकित रूप से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।
10. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन
(वीरेन्द्र कुसारी)
निदेशक

ज्ञापांक-4/आ0वि0(संधा0)-01-02/2017- 58

पटना, दिनांक- 19.09.17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मेनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 19/9/17